कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान

क्रमांकः सीआईडी/सीबी/पीआरसी/परिपत्र/2023/5482- दिनांकः- 21/9/2023
552.

परिपत्र

प्रायः पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी पहनाना व उसका प्रदर्शन करना एक सामान्य प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। हथकडी का इस्तेमाल करने से न केवल व्यक्ति अपमानित होता है वरन् उसके आत्म सम्मान/गरिमा को भी धक्का लगता है। इससे अपराधियों के साथ आधुनिक तरीकों से व्यवहार करने के सिद्धान्त पर विपरीत असर पडता हैं तथा पुलिस की छवि भी धूमिल होती है। किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती कि उस पर गंभीर अपराध का आरोप हैं और इससे एस्कॉर्ट दल को सुविधा होती है। बन्दी बनाए गए व्यक्ति पर उतने अंकुश ही लगाए जाने चाहिए, जितने की उसको भाग जाने से रोकने के लिए आवश्यक है।

इस सम्बंध में पूर्व में राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–5) विभाग से जारी परिपत्र क्रमांक प.24(70)गृह–5/88 दिनांक 17.03.1989; अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध एवं सतर्कता से जारी परिपत्र क्रमांक र–9 (ख) /46/सीबी/विधि/91/4981 दिनांक 12.09.1995; महानिरीक्षक पुलिस, सीआईडी सीबी द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2258–2306 दिनांक 28.03.2005 द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। राजस्थान पुलिस रेगुलेशन 1948 के नियम 268 में वह परिस्थितियों दर्शाई गई हैं जिनमें हथकड़ी लगाना उचित है। इस संदर्भ में भारत सरकार एवं विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय–समय निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा हैबियस कॉर्पस याचिका संख्या 156/2023 में पारित निर्णय आदेश दिनांक 26.05.2023 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रभाकर शुक्ला बनाम दिल्ली सरकार में निर्देश जारी किए गए है जिनकी कठोरता से पालना की जाए/माननीय न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेशों के कम में निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं:–

(1) हथकड़ियों का प्रयोग निम्न मामलों तक सीमित होना चाहिए:–

- जहाँ कैदी क्रूर व हिंसक प्रवृति का हो।
- उसका व्यवहार राजकार्य में व्यवधान डालने वाला हो।

☎: +91-141-2740873 🖷: +91-141-2740682 adgp.crimebranch@rajpolice.gov.in

- जहाँ यह मानने के समुचित आधार हो कि वह खतरनाक हो चुका है।
- वह हिंसा का प्रयोग करेगा या भाग जाने या हत्या करने की कोशिश करेगा।
- वह किसी संगीन अपराध में लिप्त हो।
- उसका पुराना इतिहास इन आशंकाओं की पुष्टि करता हो।

(2) सत्याग्रहियों, सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत व्यक्तियों और पत्रकारों,राजनैतिक वंदियों, न्यायविदों, डॉक्टरों, लेखकों, शिक्षाविदों को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें सामान्यतया हथकडियाँ नहीं पहनायी जावे। ऐसे कैदियों के अदालत आते–जाते समय हथकड़ी लगाई जाती है तो सम्बंधित रिकॉर्ड में कारण अंकित किये जायेंगे। संबंधित अधिकारी आरोपी को जेल से अदालत तक लेकर जाते समय और वापस लाते समय हथकड़ी तभी लगायेंगे, जब परिस्थितियों के अनुसार ऐसा बहुत जरूरी हो व न्यायालय से अनुमति प्राप्त की जा चुकी हो।

(3) सत्याग्रहियों, सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत व्यक्तियों, पत्रकारों, राजनैतिक वंदियों, न्यायविदों, डॉक्टरो, लेखकों, शिक्षाविदों को यदि उचित कारणवश हथकडी लगाई जाती है तो इन्हें सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नहीं घुमाया जाये।

(4) गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को सार्वजनिक उपहास का पात्र बनाने, तंग/परेशान करने या अपमानित करने के उद्देशय से हथकड़ी नहीं पहनाई जावे।

(5) पुलिस थानों की दैनिक डायरी मे कारण दर्ज किए बिना गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। पुलिस अधिकारी हथकड़ी के उपयोग को आवश्यक मानने के लिए अपने कारणों को दैनिक डायरी व अन्य उपयुक्त रिकॉर्ड में दर्ज करेगा तथा यथाशीघ्र न्यायालय से हथकडी लगाने की स्वीकृति प्राप्त करेगा।

(6) पुलिस द्वारा अदालत से हथकड़ी के इस्तेमाल की स्वीकृति तभी मांगी जाएगी जब विषम परिस्थितियाँ हों तथा कैदी के बारे में यह पूर्ण सम्भावना हो कि वह हिंसा का इस्तेमाल करेगा या स्वयं को छुड़ाने का प्रयास करेगा या आत्महत्या करने का प्रयास करेगा।

(7) आरोपी की गिरफ्तारी के पश्चात ऐसे अन्य उपाय किये जाने चाहिए ताकि गिरफ्तार व्यक्ति के हथकड़ी नहीं लगाई जाकर बंदी को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जा सके। भागने से रोकने का कोई अन्य व्यावहारिक तरीका उपलब्ध नहीं हो या कैदी

☎: +91-141-2740873 🖷: +91-141-2740682 adgp.crimebranch@rajpolice.gov.in

खतरनाक एवं हताश हो और परिस्थितियाँ उसे सुरक्षित रखने के लिए प्रतिकूल हो, तब हथकड़ी लगाना अंतिम उपाय के रुप में काम लिया जाना चाहिए।

(8) गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत में सुरक्षा करने हेतु पर्याप्त सुरक्षाकर्मी लगावें तथा सशस्त्र कड़ी निगरानी रखकर हथकड़ी की आवश्यकता को कम से कम किया जावे।

(9) पुलिस स्टेशन के ड्यूटी अधिकारियों का यह दायित्व है कि जब किसी आरोपी को गिरफ्तार कर हथकड़ी लगाई जाए तो दैनिक डायरी (रोजनामचा आम) में हथकड़ी लगाने के कारणों व हथकड़ी लगाने के स्थान का स्पष्ट उल्लेख करें। पुलिस स्टेशन के थानाधिकारी और उच्च अधिकारीगण समय–समय पर रोजनामचा आम की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि इन दिशा–निर्देशों की पालना की जा रही है।

(10) प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश "No Prisoner shall be handcuffed or fettered, routinely or merely for the convenience of the custodian or escort" की पालना कठोरता से की जाए।

(11) रेंज महानिरीक्षक पुलिस व जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त यह सुनिश्चित करे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उनके अधिकार क्षेत्र में अक्षरशः पालना की जाए।

अतः उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जाए।

संलग्नः– पूर्व में जारी परिपत्र कमाक गृह विभाग का पत्र दिनांक 17.03.1989, पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र कमांक 4981 दिनांक 12.09.1995 एवं 2258–2306 दिनांक 28.03.2005

(दिनेश एम.एन)
अति.महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त रेंज प्रभारी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर एवं समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
3. समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

अति.महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान, जयपुर।

☎: +91-141-2740873 🖷: +91-141-2740682 adgp.crimebranch@rajpolice.gov.in